

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 1972/चैत्र 8, 1894
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1972/CHAITRA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March 197

G.S.R. 213 (E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by clause 11 of the said Order shall be exercisable also by the officers mentioned in column (1) of the Table below within the areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table

TABLE

(1)	(2)
(i) All District Magistrates, Deputy Commissioners and Collectors of districts in the States.	The local limits within which they exercise jurisdiction.
(ii) All Sub-divisional Magistrates.	Do.
(iii) Chief Secretaries and Directors of Civil Supplies of Union territories.	Do.
(iv) Police Officers in the State of Andhra Pradesh not below the rank of Deputy Superintendent of Police	Do.
(v) Revenue Divisional Officers in the State of Tamil Nadu.	Do.
(vi) (a) Deputy Commissioner of Police, Crime Branch (Controls), Criminal Investigation Department, Bombay.	The whole of Maharashtra

(1)	(2)
(b) All revenue officers, not below the rank of Aval Karkun, or holding any office which is recognised by the State Government as no. lower in rank than that of such Karkun, and in the offices of the District Supply Officers and Foodgrains Distribution Officers, not below the rank of Supply Inspector, in the State of Maharashtra.	The local limits within which they exercise jurisdiction.
(c) All Officers of the Rationing Organisation in the Rationing Areas not below the rank of Rationing Inspectors.	Do.
(d) The Presidency Magistrate, Bombay.	Do.
(e) All Officers in the office of the Supply Commissioner, Bombay.	Greater Bombay.
(vii) (a) The Controller of Sugar, West Bengal.	The areas described in Schedule I to the Calcutta Municipal Act, 1951 (West Bengal Act xxxiii of 1951) as amended by notification issued under section 594 of that Act; that part of Hastings north of South edge of Clyde Row and Starand Road to the river bank and the area within the limits of the Port of Calcutta as defined by notification under section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).
(b) Police Officers in the State of West Bengal not below the rank of an Inspector of Police.	The local limits within which they exercise jurisdiction.
(viii) The Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands.	The whole of Andaman and Nicobar Islands.
(ix) (a) Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.	The local limits within which they exercise jurisdiction.
(b) Tahsildar Kavaratti.	Kavaratti and Agatti.
(c) Tahsildar Androth.	Androth and Kalpeni.
(d) Tahsildar Minicoy.	Minicoy.
(e) Tahsildar, Amini.	Amini, Kadamat, Kiltan, Chetlat and Bitra.
(f) Amin, Agatti.	Agatti.
(g) Amin, Kalpeni.	Kalpeni.
(h) Karani, Kadmati.	Kadmat.
(i) Karani, Kiltan.	Kiltan.
(j) Karani, Chetlat.	Chetlat and Bitra.
(x) The Food Controller, Ahmedabad and Deputy Food Controller, Ahmedabad.	Ahmedabad City.
(xi) (a) Lt. Governor, Pondicherry.	The whole of the Union territory of Pondicherry.
(b) Secretary, Revenue and Development Department, Pondicherry.	Do.
(c) Administrator, Karikal, Mahe and Yanam.	Within their respective jurisdiction.
(d) The Civil Supplies Officers and Civil Supplies Inspectors of the Directorate of Civil Supplies.	Do.
(e) Officers of the Police Department not below the rank of sub-Inspector of Police.	Do.
(xii) Controller of Daman.	The local limits within which he exercises jurisdiction.
(xiii) Civil Administrator, Diu	Do.

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

सा० का० नि० 213(अ).—शकेरा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त आदेश के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियां निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत, प्रयोक्तव्य होंगी।

सारणी

(1)	(2)
(i) राज्य के जिलों के सभी जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और क्लैक्टर।	स्थानीय सीमाएं जिनके अन्तर्गत वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
(ii) सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट।	यथोक्त
(iii) संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और सिविल प्रदाय के निदेशक।	यथोक्त
(iv) आन्ध्र प्रदेश राज्य के पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों।	यथोक्त
(v) तमिल नाडू राज्य में राजस्व प्रभागीय अधिकारी।	यथोक्त
(vi) (क) पुलिस उपायुक्त, अपराध शाखा (नियंत्रण), अपराध अन्वेषण विभाग, मुम्बई।	सम्पूर्ण महाराष्ट्र।
(ख) महाराष्ट्र राज्य के सभी राजस्व अधिकारी, जो अवस कारकून की पंक्ति से नीचे के न हों या ऐसा कोई पद धारण कर रहे हों जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारकून की पंक्ति से नीचे का नहीं माना गया है और जिला प्रदाय अधिकारी के कार्यालय में तथा खाद्यान्न वितरण अधिकारी के कार्यालय में जो प्रदाय निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों।	स्थानीय सीमाएं जिनके अन्तर्गत वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
(ग) राशनिंग क्षेत्र में राशनिंग संगठन के सभी अधिकारी जो राशनिंग निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों।	यथोक्त

(1)	(2)
(घ) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, मुम्बई ।	स्थानीय सीमाएं जिनके अन्तर्गत वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं ।
(ङ) प्रदाय आयुक्त, मुम्बई कार्यालय के सभी अधिकारी ।	बृहतर मुम्बई
(vii) (क) शर्करा नियंत्रण, पश्चिमी बंगाल ।	कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम 1951 (1951 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम (xxxiii) की अनुसूची 1, में उस अधिनियम की धारा 594 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा यथा-संशोधित वर्णित क्षेत्र; कलाइडरो और स्ट्रैड रोड के दक्षिण किनारे तक तथा भारतीय पतन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 के अधीन अधिसूचना की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ।
(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य के पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों ।	स्थानीय सीमाएं जिनके अन्तर्गत वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं ।
(viii) मुख्य आयुक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ।	सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ।
(ix) (क) प्रशासक, लकादीप, मिनिकोय और अमिनदीवी द्वीप समूह ।	स्थानीय सीमाएं जिनके अन्तर्गत वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं ।
(ख) तहसीलदार कावेर्ती ।	कावेर्ती और अगती
(ग) तहसीलदार, अंड्रोथ ।	अंड्रोथ और कल्पेनी
(घ) तहसीलदार, मिनिकोय ।	मिनिकोय
(ङ) तहसीलदार, मिनि ।	अमिनि, कडमत, किल्टन, चेटलट और बितरा
(च) अमिन, अगती ।	अगती
(छ) अमिन, कल्पेनी ।	कल्पेनी
(ज) कारनी, कडमत ।	कडमत
(झ) कारनी, किल्टन ।	किल्टन
(ञ) कारनी, चेटलट ।	चेटलट और बितरा

(X) (क) खाद्य नियंत्रक, अहमदाबाद और उपखाद्य नियंत्रक, अहमदाबाद ।	अहमदाबाद शहर
(xi) (क) उपराज्य पाल, पांडेचेरी ।	सम्पूर्ण पांडेचेरी संघ राज्य क्षेत्र
(ख) सचिव, राजस्व और विकास विभाग, पांडेचेरी ।	यथोक्त
(ग) प्रशासक, कार्यक्ल महे और यनम ।	अपनी अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत
(घ) सिविल प्रदाय निदेशालय के सिविल प्रदाय अधिकारी और सिविल प्रदाय निरीक्षक ।	यथोक्त
(ङ) पुलिस विभाग के अधिकारी ओ पुलिस के उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों ।	अपनी अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत
(xii) दमन के नियंत्रक ।	स्थानीय सीमाएं जितके अन्तर्गत वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं
(xiii) सिविल प्रशासक, दीव ।	यथोक्त

[सं० 1-13/71-एस० पी० वाई०]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

